न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—डॉ. सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 05 / 2022 तारीख रजू 03.01.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. श्री रवि शंकर मित्तल पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप मित्तल, विक्रेता एवं मालिक मैसर्स— कृष्णा डेयरी, दौसा बस स्टेण्ड के पास कलेक्ट्रेट रोड, बजरिया सवाई माधोपुर निवासी ग्राम एवं पोस्ट मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/ 51,53 एफएसएस एक्ट 2006

निर्णयः— दिनांक 19/9/22

कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिम 2006 की धारा 26(2)(ii) / 51,53 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कि आवेदक दिनांक 03.03.2021 को समय लगभग 12.30 पी.एम. पर अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ कृष्णा डेयरी, दौसा बस स्टेण्ड के पास कलेक्ट्रेट रोड, बजरिया सवाई माधोपुर पर पहुॅचा। वहॉ पर श्री रविशंकर मित्तल मिले जिन्होंने स्वयं को उक्त फर्म में मालिक होना जाहिर किया एवं कुकिंग मिडियम (कृष्णम) इत्यादि को आम जन को विक्रय करना जाहिर किया एवं मौके पर फूड रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की। आवेदक के निरीक्षण करने पर दुकान में 31 कार्टन पेक प्रत्येक एक लीटर कुकिंग मिडियम (कृष्णम) आम जनता को विक्रय हेतु रखा गया था। इस कुकिंग मिडियम (कृष्णम) में से अवमानक / मिथ्याछाप का शक होने पर इसकी जांच एफएसएस एक्ट के तहत कराने के लिए 4 कार्टन पेक प्रत्येक एक लीटर कुकिंग मिडियम (कृष्णम) वास्ते नमूना जांच संख्या **एच**—2030 के लिए एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011 के नियमानुसार नमूनीकरण हेतु खरीदने के लिए रूबरू गवाह श्री हेमराज शर्मा एवं आवेदक के साथ गये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री भानूप्रताप सिंह गहलोत कार्यालय निदेशालय केन्द्रीय दल मुख्यालय जयपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं मा[illegible] किया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (कृष्णम) वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के [illegible] खरीद की है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता एवं मालिक को रूप्ये 5[illegible]/– नगद देकर [illegible]टन पेक प्रत्येक एक लीटर कुकिंग मिडियम (कृष्णम) वास्ते नमूना जांच खरी[illegible] की जिस प[illegible]क एवं गवाह के हस्ताक्षर तथा विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर है। [illegible]क्रेता एवं मालिक व ग[illegible] रूबरू खरीदशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 16:29:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय नि[illegible] अधिकारी एवं
अतिरि[illegible] मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

4 कार्टन पैक प्रत्येक एक लीटर कुकिंग मिडियम (कृष्णम) के मूल पर ही प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये जिस पर डीओ के कोड व सीरियल नम्बर एच–2030 खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडयम (कृष्णम) का विवरण एवं नमूना लेने के स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। आवेदक ने, गवाह ने एवं विक्रेता एवं मालिक ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को निमयानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं कमांक एच–2030 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाई प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एवं चारो नमूनो पर अपने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कॉस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एच–2030 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया उपरोक्त समस्त कार्यवाही आवेदक ने स्वयं, गवाह व विक्रेता एवं मालिक के सामने मौके पर ही की। कार्यालय पहुंचकर आवेदक ने फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की जिन पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सील्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया । फार्म नं0 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेटकर मोटे धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी से सील्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियॉ अलग से एक लिफाफे में रखकर सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द नमूनों व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा अगले कार्य दिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर (राजस्थान) को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। एच–2030 नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक 1630 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/329/एक्ट/2020/416 दिनांक 16.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (कृष्णम) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded)/मिसलिडिंग एवं अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया।** जिसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को नियम 2.4.2 (6) के तहत देते हुए धारा 46 की उपधारा (4) के तहत फार्म नं. 8 में नमूने की पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत 30 दिवस का समय दिया गया। विक्रेता एवं मालिक श्री रविशंकर मित्तल के द्वारा रेफरल लेब से पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। लेबोरेट्री जयपुर के जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप एवं अवमानक होना पाया गया है। जो अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a),3(1)(zf)(B)(ii),3(1)(zx) of Food Sefety and Standard Act-2006 का उल्लंघन है जो कि FSS एक्ट [illegible] नियम 2011 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड)/मिसलिडिंग एवं अवमानक **(सबस्टण्डर्ड)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (कृष्णम) का निर्माण/विक्रय करके खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
[illegible] सवाई माधोपुर

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51,53 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.07.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का मय जवाब प्रस्तुत कर निस्तारण करने पर पत्रावली तलब की जाकर आज पेश हुयी। पत्रावली पेश होने पर अभियोजन अधिकारी एवं वकील अभियुक्त की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (कृष्णम) का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (कृष्णम) को निम्न स्तर की माना जाकर स्वयं द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा भविष्य में निम्न स्तर का खाद्य पदार्थ का आगे विक्रय नहीं करने हेतु जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित करते हुए यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी बाहर रहता है, उक्त फर्म वर्तमान में संचालित नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा भूलवश उक्त कृत्य प्रथम बार कारित किया है। अतः प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/329/एक्ट/2020/416 दिनांक 16.03.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (कृष्णम) मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड)/मिसलिडिंग एवं अवमानक (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a),3(1)(zf)(B)(ii),3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। तथा जॉच लेब की जॉच से प्रमाणिक है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है। चूंकि, अभियुक्त वर्तमान में बाहर रहता है तथा उक्त फर्म वर्तमान में संचालित नहीं हो रही है एवं अभियुक्त द्वारा उक्त कृत्य प्रथम बार कारित किया है, अभियुक्त के विरूद्ध सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। उक्त अपराध कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 53 के अन्तर्गत जुर्माने/आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (कृष्णम) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51, 53 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:48 IST
Reason: SelfAttested